

हवाईसिंह / लीलाराम - 46/2023

दिनांक	आज्ञा पत्र
6.3.25	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज..... <u>8.5.25</u> पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक <u>28.4.25</u> को पेश हो।
28.4.25	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक <u>6.5.25</u> को पेश हो।
6/5/25	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज..... <u>8.5.25</u> पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक <u>7.5.25</u> को पेश हो।
7/5/25	पत्रावली पेश। वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से श्रेय रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश कर अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलाट ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलाट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर ने कथन होकर बाद तत्पश्चात् तत्कालीन दाखिल दफ्तर से।



पुष्पक अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प इन्चार्ज)